ए० के० पी० डिग्री कालेज
सा विद्या या विमुक्तये
खुरजा

A.K.P. DEGREE COLLEGE

KHURJA (Bulandshahr)
Affiliated to CCS University, Meerut
NAAC A++ University

Estd. 1966

PROSPECTUS
Session 2024-25

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत

समाज कल्याण विभाग द्वारा

प्रतिभावान, मेधावी व लगनशील एवं परिश्रमी सभी संवर्गो के छात्र-छात्राओं को विभिन्न परिक्षाओं हेतु

निःशुल्क कोचिंग

- IAS/PCS
- NEET
- JEE
- NDA/CDS

उन्नत भारत अभियान
UNNAT BHARAT ABHIYAN

उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत

खुर्जा के अंगीकृत गाँव

- इस्माइलपुर बुढ़ैना
- ढांकर निजामपुर
- सीकरी
- धरांऊ
- नगला महीउद्दीनपुर

कॉलिज में संचालित स्वरोजगार पाठ्यक्रम

- बागबानी - NURSERY
- डेयरी व केचुआ द्वारा खाद बनाना - DAIRY & VERMI COMPOSTING
- मशरूम की खेती - MUSHROOM CULTIVATION
- फास्ट फूड बनाना - FAST FOOD MAKING
- कृत्रिम आभूषण बनाना - ARTIFICAL JEWELLERY MAKING
- टेडीबियर बनाना - TEDDY BEAR MAKING
- टेलरिंग - TAILORING TRAINING
- ब्यूटी पार्लर - BEAUTY PARLOUR

अनुक्रमणिका

क्रम सं०	विवरण	पृष्ठ सं०
1	ए.के.पी. डिग्री कॉलेज, खुरजा संक्षिप्त परिचय	2
2	उपलब्ध पाठ्यक्रम	3-4
3	प्रवेश समितियाँ	5
4	महाविद्यालय की शिक्षिकागण	6
5	महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी	7
6	प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश	8
7	छात्रायोपयोगी उपलब्ध सुविधायें	9-11
8	पुरूस्कार व छात्रवृत्तियाँ	12
9	प्रवेश के नियम	13-22
10	शुल्क तालिका	25
11	परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी सामान्य नियम	26
12	प्रवेश आवेदन पत्र	

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय के नियमों में यदि कोई परिवर्तन, संशोधन या परिवर्द्धन होता है तो पूर्व नियमों के अतिरिक्त उन उप-नियमों को भी कार्यान्वित किया जायेगा, जो सभी के लिये मान्य होगा।

महाविद्यालय सम्बन्धी समस्त सूचनाओं के लिये महाविद्यालय की वेबसाईट : www.akppgcollegekhurja.in का अवलोकन करते रहें।

ए.के.पी. डिग्री कॉलेज, खुरजा

संक्षिप्त परिचय

गर्व का विषय है कि ए.के.पी. डिग्री कॉलेज खुर्जा अपने सफल विकास का 58 वर्ष पूरा कर रहा है। कॉलेज की स्थापना 12 अगस्त 1966 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल के बुलंदशहर जिले का यह एक मात्र महिला महाविद्यालय है जहां स्नातकोत्तर अध्ययन व शोध की सुविधा उपलब्ध है। कॉलेज का वर्तमान मुख्य परिसर 3.1 एकड़ भूमि में स्थित है, जिसमें अध्ययन क्षेत्र, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, हॉल, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रशासनिक भवन, स्मार्ट कक्षा, कौशल विकास क्षेत्र, आई.टी. सेंटर, IIC सेल, मेडिकल रूम, कंप्यूटर लैब, छात्रा कॉमन रूम आदि है। अध्ययन कक्षाओं को भी स्मार्ट क्लास रूम से बदला जा रहा है। कॉलेज में एक विशाल क्रीड़ा स्थल, ओपन जिम व रीक्रिएशन सेंटर भी है। जिसमें छात्राएं इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, कैरम, चैस आदि खेल खेलती है व व्यायाम भी करती है। महाविद्यालय भारत के परंपरागत खेलों को भी बढ़ावा देता है व उनसे सम्बन्धित प्रतियोगिताएं भी आयोजित करता है।

यह कॉलेज चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबंद्ध एक अग्रणी महिला महाविद्यालय है जहाँ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत (गायन), पुस्तकालय विज्ञान व गृह विज्ञान (स्वावित्तपोषित) विषयों में स्नातक स्तर पर तथा हिन्दी व राजनीति विज्ञान (स्ववित्तपोषित) विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती है। कॉलेज में हिंदी विषय में शोध सुविधा भी उपलब्ध है। वर्तमान में 14 शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर NEP 2020 लागू है व स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2024–25 से लागू की जा रही है। इस समय महाविद्यालय में 19 कौशल विकास कोर्स व 8 स्वरोजगार पाठ्यक्रम चलाए जा रहे है। सत्र 2024–25 से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS/UPSC, NEET, JEE, NDA/CDS, NET/JRF की कोचिंग भी शुरू की जा रही है।

कॉलेज में एक विशाल पुस्तकालय है, जिसमें वर्तमान में 23145 पुस्तकें तथा कई विषयों में शोध पत्रिकाएं व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पत्रिकाएं भी उपलब्ध है। कॉलेज राष्ट्रीय स्तर N-List Library से भी संबंद्धित है व निर्धन छात्राओं के लिए एक बुक बैंक भी महाविद्यालय में उपलब्ध है।

इस सस्था का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल में नारी शिक्षा का विकास कर समाज व देश के लिए ऐसे नागरिक तैयार करना है जो कि न केवल शिक्षित हो बल्कि स्वावलंबी भी हो तथा अपने निर्णय स्वयं ले सके। इसके लिए महाविद्यालय न उन्हें केवल प्रतियोगी परिक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देता है बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास में कौशल विकास के लिए विभिन्न कोर्स, स्वरोजगार कोर्सेज व वैल्यू एडेड कोर्सेज भी चलाता है। जिसमें वह स्वयं अपना रोजगार सृजन कर सके।

छात्राओं को स्वावलम्भी बनाने में व रोजगार प्रदान करने के लिए कॉलेज ने विभिन्न संस्थानों से MoU कर रखे हैं जैसे स्लीपवेल फाउंडेशन, सन 19 फॉर्मा, संस्कृत भारती, विद्याब्रिज इत्यादि। कॉलेज में एक प्लेसमेंट सैल भी है जो छात्राओं को रोजगार दिलाने में मदद करती है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए व कौशल विकास के लिए इन्हें विभिन्न ट्रेनिंग के लिए भी बाहर भेजा जाता है। अब तक 40 छात्राएं SDRF की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुकी है। वर्ष 2023–24 में पांच छात्राओं ने स्पेल के अंतर्गत पुलिस विभाग में ट्रेनिंग की। 5 छात्राओं ने संस्कृत भारती से ट्रेनिंग प्राप्त की। कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ का हेल्थ सेंटर भी है, जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग करता है।

अपने सामाजिक दायित्व कार्यक्रम निर्वहन के अंतर्गत महाविद्यालय ने खुर्जा ब्लॉक के पांच गांवों को गोद ले रखा है। इनके विकास के लिए व वहां के निवासियों के रोजगार संवर्धन के लिए महाविद्यालय विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। इससे अतिरिक्त अपनी Alumini छात्राओं के लिए भी महाविद्यालय समय–समय पर रोजगार कार्यक्रम चलता रहता है।

उपलब्ध पाठ्यक्रम

1. पीएच.डी. (हिन्दी)
2. एम.ए. – हिन्दी, राजनीति विज्ञान (स्ववित्तपोषित)
3. बी.ए. – पाठ्य विषय

1. हिन्दी	5. अर्थशास्त्र	9. शारीरिक शिक्षा
2. अंग्रेजी	6. राजनीति विज्ञान	10. पुस्तकालय विज्ञान
3. संस्कृत	7. इतिहास	11. गृहविज्ञान (स्ववित्तपोषित)
4. संगीत – गायन	8. मनोविज्ञान	

नोट : वर्ष 2021–22 से C.C.S. University मेरठ द्वारा स्नातक स्तर पर NEP 2020 के अन्तर्गत सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है।

NEP के अन्तर्गत उपलब्ध संकाय की तालिका :–

1. भाषा संकाय

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. संस्कृत

2. कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

1. अर्थशास्त्र
2. इतिहास
3. राजनीति शास्त्र
4. मनोविज्ञान
5. शारीरिक शिक्षा
6. पुस्तकालय विज्ञान
7. गृहविज्ञान (स्ववित्तपोषित)

3. ललित कला एवं प्रदर्शन कला

1. संगीत गायन

गौण विषय – सभी विषयों के केवल संगीत (गायन) को छोडकर

अनिवार्य सहगामी विषय :–

सेमेस्टर I	1) Food Nutrition & Hygiene
सेमेस्टर II	2) First Aid & Health
सेमेस्टर III	3) Human Values & Environment Studies
सेमेस्टरIV	4) Physical Education & Yoga
सेमेस्टर V	5) Analytical Ability & Digital Awareness
सेमेस्टरVI	6) Communication Skills & Personality Development

कौशल विकास पाठ्यक्रम :–

1. **Certificate Course in Computer**
2. **Basic Communicative English**
3. **Patrakarita**
4. **Self Employed Tailor Course**
5. **Food Preservation**
6. **Yoga & Correctives**
7. **Sambhashan Sanskritam (Spoken Sanskrit)**
8. **Web Designing**
9. **Media & Journalist Writings**
10. **News Writing & Reporting**
11. **Applied Research**
12. **Communication Skill & Personality Development**
13. **Basic Clinical Techniques**
14. **Computerized Accounting & GST**
15. **Guidence & Counselling**
16. **Social Work**
17. **Stress Management**
18. **Life Skill & Value Education**
19. **Basic Certificate in Medical Laboratory**

ADMISSION COMMITTEE

1. B.A. I + M.A. (Hindi)

1. Smt. Neelu Singh - Convener
2. Dr. Rekha Chaudhary - Member
3. Dr. Geeta Singh - Member
4. Dr. Swarnali De - Member
5. Dr. Manu Arya - Member

2. B.A. II

1. Dr. Beena Mathur- Convener
2. Dr. Radhika Devi - Member
3. Dr. Sahil - Member
4. Dr. Kalpana Maheshwari - Member

3. B.A. III + MA (Political Science)

1. Dr. Anamika Dwivedi - Convener
2. Smt. Sharmistha - Member
3. Smt. Ekta Chauhan - Member

LIST OF FACULTY MEMBERS

Prof. Dimpal Vij (Principal)

1. Economics Department

1. Post Vacant

2. English Department

1. Smt. Neelu Singh (Associate Prof.)
2. Smt. Sharmishtha (Assistant Prof.)
3. Dr. Swarnali De (Assistant Prof.)

3. Hindi Department

1. Dr. Rekha Chaudhary (Associate Prof.)
2. Dr. Kalpana Maheshwari (Assistant Prof.)
3. Dr. Anamika Dwivedi (Associate Prof.)
4. Post Vacant
5. Post Vacant

4. History Department

1. Dr. Beena Mathur (Associate Prof.)

5. Home Science Department (Self Finance)

1. Post Vacant

6. Library & Information Science

1. Post Vacant

7. Music Department

1. Post Vacant

8. Physical Education Department

1. Dr. Sahil (Associate Prof.)

9. Psychology Department

1. Dr. Geeta Singh (Assistant Prof.)
2. Post Vacant

10. Political Science Department

1. Dr. Radhika Devi (Associate Prof.)
2. Smt. Ekta Chauhan (Assistant Prof.)

11. Sanskrit Department

1. Dr. Manu Arya (Assistant Prof.)

महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी

कार्यालय	
श्री सुधीर कुमार	कार्यालय अधीक्षक
श्री जितेन्द्र कुमार	नैत्यिक लिपिक
श्री अशोक कुमार	नैत्यिक लिपिक
श्री वीरेन्द्र कुमार	दफ्तरी
श्री रविन्द्र कुमार	सेवक
श्रीमती सुमन देवी	सेविका
श्री अजीत कुमार	चौकीदार
श्री मोमराज	चौकीदार
श्री मोहित शर्मा	सेवक
पद रिक्त	सफाईकार
पद रिक्त	माली

पुस्तकालय	
पद रिक्त	पुस्तकालयाध्यक्ष
पद रिक्त	पुस्तकालय सहायक
पद रिक्त	पुस्तकालय परिचर

मनोविज्ञान प्रयोगशाला	
श्रीमती रेखा कुमारी	प्रयोगशाला सहायक
श्री लखनवीर	प्रयोगशाला परिचर
पद रिक्त	प्रयोगशाला परिचर

संगीत विभाग	
पद रिक्त	तबला वादक

प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश

- प्रत्येक प्रवेशार्थी कॉलेज विवणिका एवम् आवेदन पत्र कॉलेज कार्यालय से प्राप्त करेगा। विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in पर रजिस्ट्रेशन करा के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। तत्पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश सूची बनाई जायेगी जो महाविद्यालय को निर्गत होगी। महाविद्यालय में प्रवेश हेतु कॉलेज विवरणिका में उपलब्ध आवेदन online/offline भरकर एवं समस्त प्रमाण–पत्र (मूल प्रमाण–पत्रों) सहित कॉलेज में सम्बन्धित प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित हों। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इच्छुक प्रवेशार्थी को प्रमाण–पत्रों की स्वःहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रवेश फार्म के साथ क्रमानुसार संलग्न करना आवश्यक है।

  1. हाई स्कूल अंक तालिका
  2. इण्टरमीडिएट अंक तालिका
  3. चरित्र प्रमाण–पत्र
  4. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.)
  5. जाति प्रमाण–पत्र (सामान्य वर्ग के अतिरिक्त)
  6. आय प्रमाण–पत्र (जो छात्र, छात्रवृत्ति के लिए अर्ह है)
  7. मूल निवास प्रमाण–पत्र (उ.प्र. राज्य के वे छात्र जिन्होंने इण्टरमीडिएट / स्नातक की परीक्षा अन्य राज्यों से उत्तीर्ण की है)
  8. अधिभार हेतु सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

  स्नातकोत्तर कक्षाओं (प्रथम सत्र) में प्रवेश हेतु इच्छुक प्रवेशार्थी द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त स्नातक की प्रथम, द्वितीय एवम तृतीय वर्ष अंक तालिका की स्वः हस्ताक्षरित छाया प्रति प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- प्रवेश की घोषित निर्धारित तिथियों तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेशार्थी का प्रवेशाधिकार समाप्त हो जायेगा।
- कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय की दो उपाधियों के लिए एक साथ अध्ययन नहीं कर सकेगा।
- जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किये जायेंगे। प्रमाण–पत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व प्रवेश प्रोविजनल (प्रमाण–पत्र के सत्यापन के अधीन) होगा। शासन द्वारा गठित स्क्रूटनी कमेटी के निर्णयानुसार जाति प्रमाण–पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेश बिना कोई पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जायेगा तथा संबंधित विद्यार्थी या उसके माता–पिता या अभिभावक के विरुद्ध झूठा दावा करने के लिए अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण–पत्र नवीनतम शासनादेश संख्या के अनुरूप संलग्न करें अन्यथा मान्य नहीं होगा।
- प्रवेशार्थी की अभ्यर्थता संकाय / विषय के संदर्भ में अहस्तांतरित (Non-transferable) है।
- प्रवेश के इच्छुक प्रवेशार्थी प्रवेश के समय माइग्रेशन प्रमाण–पत्र संलग्न न करें।

अर्हता :

- स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अर्हता हेतु अभ्यार्थी का वैधानिक परिषद् द्वारा आयोजित 12 वर्ष का इण्टरमीडिएट अथवा + 2 की परीक्षा उत्तीण होना अनिवार्य है।
- यदि किसी अभ्यार्थी का परीक्षाफल प्रवेश तिथि से पूर्व घोषित हो गया है तथा वह पूरक परीक्षा या रोके गये परीक्षा फल की श्रेणी में है तो वह प्रवेश के लिये अर्ह नहीं है। वह किसी भी दशा में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा।

  1. आवेदन पत्र 2. कम्प्यूटरीकृत फार्म जो इस विवरणिका के साथ संलग्न है।

  प्रत्येक अभ्यार्थी कॉलेज कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र फोटो सहित ऑनलाइन भरकर व फीस जमाकर इसकी Hard Copy सम्बन्धित प्रवेश समिति को जमा करेगी। प्रवेशार्थी अपने हस्तलेख में सभी रिक्तियाँ भरेगा और प्रमाणपत्रों की स्वः हस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ संलग्न करेगा। प्रवेशार्थियों को प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। इनके बिना और इनकी स्वः हस्ताक्षरित सत्यापित प्रतिलिपियों के बिना कोई प्रवेश संभव नहीं होगा। टी.सी. तथा चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रवेश के समय फार्म के साथ लगाने होंगे।

महाविद्यालय में उपलब्ध छात्रायोपयोगी सुविधाएँ

(1) **परिचय पत्र** – प्रत्येक विद्यार्थी प्रवेश के समय महाविद्यालय से परिचय पत्र प्राप्त करेगा जिस पर अभ्यर्थी को अनुशासन अधिकारी द्वारा अपना फोटो सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। फीस जमा कराने के पश्चात छात्राएँ चीफ प्रॉक्टर डॉ. रेखा चौधरी से सम्पर्क करें।

(2) **चरित्र प्रमाण–पत्र** – चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकारी केवल वह छात्रा होगी जो महाविद्यालय में न्यूनतम 6 माह की अध्ययन अवधि पूर्ण कर चुकी हो।

(3) **राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)** – महाविद्यालय में NSS की दो इकाईयाँ कार्यरत हैं जिसमें समस्त छात्राएँ प्रवेश ले सकती हैं। इसमें प्रवेश हेतु छात्रायें श्रीमती डा. मनु आर्या (संस्कृत विभाग) तथा डॉ. राधिका देवी (राजनीति विज्ञान विभाग) से सम्पर्क करें।

(4) **रोवर्स एवं रेंजर्स** – महाविद्यालय में रोवर्स एवं रेंजर्स, की दो यूनिट **'कल्पना चावला रोवर्स दल'** व **'अपराजिता रेंजर्स दल**' कार्यरत हैं जिसमें प्रवेश हेतु छात्राएँ डॉ. अनामिका द्विवेदी (हिन्दी विभाग) व श्रीमती शर्मिष्ठा (अंग्रेजी विभाग) से सम्पर्क करें।

(5) **महाविद्यालय पत्रिका** – महाविद्यालय में प्रतिवर्ष 'शुभम' पत्रिका का प्रकाशन किया जाता हैं जिसमें विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा स्वरचित कविताओं, लेखों, निबंधों व शोधपत्रों के साथ विभिन्न गतिविधियों, उपलब्धियों का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका के सम्बन्ध में अधिक जानकारी मुख्य सम्पादिका श्रीमती एकता चौहान (राजनीति विज्ञान विभाग) व सहसम्पादिका डा. स्वर्णाली डे (अंग्रेजी विभाग) से प्राप्त की जा सकती है।

(6) **पुस्तकालय व वाचनालय** – महाविद्यालय पुस्तकालय प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक खुलेगा। विशेष कारणों से समय में परिवर्तन हो सकता है। सभी स्नातक व स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पुस्तकें प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक निर्गत–आगत (Issue-Return) की जायेंगी।

पुस्तकालय की सदस्यता – पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिये विद्यार्थी को प्रवेश शुल्क रसीद मूल रूप में तथा परिचय पत्र दिखाना आवश्यक होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय से पुस्तकें 14 दिनों के लिये निर्गत की जायेंगी। लौटाने की तिथि पर यदि पुस्तकें नहीं लौटाई जाती हैं तो प्रतिदिन प्रति पुस्तक पर विलम्ब शुल्क देना होगा। सदस्यता कार्ड अहस्तांतरित है।

' सामान्य ज्ञानवर्धन सम्बन्धी समाचार–पत्र व पत्रिकायें यहाँ पर्याप्त मात्रा में आती हैं। सभी प्रमुख दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक पत्र व पत्रिकायें उपलब्ध होती हैं।

बुक बैंक – महाविद्यालय में बुक बैंक भी स्थापित है जिससे निर्धन योग्य छात्राओं को दीर्घावधि के लिये नियमानुसार पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। नियमावली व आवेदन पत्र आदि पुस्तकालय में बुक बैंक काउन्टर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

विशेष नोट – पुस्तकालय से सम्बन्धित किसी भी समस्या के लिये छात्राऐं डॉ. मनु आर्या (संस्कृत) से सम्पर्क कर सकती हैं।

(7) **Anti Sexual Harassment Cell** – कॉलेज में छात्राओं की सहायता हेतु एंटी सक्चुयल सैल कार्यरत है जिसकी प्रभारी डॉ. राधिका देवी (राज. शास्त्र विभाग) हैं।

(8) **पुरातन छात्रा समिति** – महाविद्यालय में पुरातन छात्रा समिति गठित की गयी है जिसकी संयोजिका डा. बीना माथुर हैं।

(9) **शुल्क मुक्ति सुविधा** – प्रत्येक वर्ष निर्धन व योग्य छात्राओं को शुल्क मुक्ति सहायता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में दो सगी बहनों के प्रवेश लेने पर उनमें से एक को ही शुल्क मुक्ति सुविधा प्रदान की जायेगी। अधिक जानकारी के लिये छात्राएं श्रीमती एकता चौहान से सम्पर्क करें।

(10) **एन्टी रैगिंग समिति** – माननीय उच्चतम न्यायालय एवं शासन के पत्रांक 746/70–1–2009/उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 26 मार्च 2009 द्वारा रैगिंग पूर्णतया निषेध है। कॉलिज में रैगिंग रोकने हेतु एन्टी रैगिंग समिति कार्यरत है जिसकी समन्वयक डा. गीता सिंह (मनोविज्ञान विभाग) हैं।

(11) **महिला प्रकोष्ठ व महिला अध्ययन केन्द्र** – इसकी संयोजिका डॉ. गीता सिंह (मनोविज्ञान विभाग) हैं। इसके अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों का संचालन किया जाता है। छात्रायें अपने समस्याओं के निवारण हेतु महिला प्रकोष्ठ से भी सम्पर्क कर सकती हैं।

(12) **मेडिकल एड (Medical Aid)** – महाविद्यालय में छात्राओं के लिये एक चिकित्सा कक्ष (Medical Room) की व्यवस्था है जिसमें स्ट्रेचर, व्हील चेयर, बेड, प्राथमिक चिकित्सा किट आदि उपलब्ध हैं। साथ ही एक चिकित्सीय परामर्श समिति भी है जिसमें तीन डॉक्टरों की टीम छात्राओं को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्रदान करती है। अधिक जानकारी के लिये छात्रायें श्रीमती नीलू सिंह (अंग्रेजी विभाग) व श्रीमती एकता चौहान (राजनीति विज्ञान विभाग) से सम्पर्क करें।

(13) **साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद्** – महाविद्यालय में साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद् कार्यरत है जिसके तत्वावधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन छात्राओं के चहुंमुखी विकास हेतु किया जाता है। परिषद् की प्रभारी डॉ. रेखा चौधरी (हिन्दी विभाग) तथा सह–प्रभारी डॉ. स्वर्णाली डे (अंग्रेजी विभाग) हैं।

(14) **करियर सैल एवं काउंसलिंग समिति** – श्रीमती एकता चौहान व सहप्रभारी डॉ. स्वर्णाली डे छात्राओं को

करियर के बारे में जागरुक करती हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं।

(15) **ए.के.पी. रिसर्च सैन्टर** – कॉलेज में विभिन्न विषयों में छात्राओं को शोध की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रिसर्च सेन्टर की स्थापना की गयी है। अधिक जानकारी के लिये डॉ. रेखा चौधरी (हिन्दी विभाग) से सम्पर्क करें।

(16) **कॉलेज वेबसाइट** – कॉलेज से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छात्राओं के लिये कॉलेज की Website : akppgcollegekhurja.in पर उपलब्ध हैं, जिसकी प्रभारी डा. स्वर्णाली डे हैं।

(17) **कम्प्यूटर लैब** – कॉलेज में छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा के लिये एक कम्प्यूटर लैब स्थापित की गयी है, जिसमें विभिन्न कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हैं। कॉलेज का अपना Blog व youtube channel भी है, जिसके द्वारा विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों से परिचित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डॉ. स्वर्णाली डे (अंग्रेजी विभाग) से संपर्क करें।

(18) **IIC Centre** – महाविद्यालय में एक Institute Innovation Cell है जिसकी प्रभारी श्रीमती एकता चौहान व सहप्रभारी डॉ. स्वर्णाली डे हैं, जहाँ छात्राओं को अपने start up शुरू करने के बारे में जानकारी दी जाती है।

(19) **NEP प्रकोष्ठ** – महाविद्यालय में NEP 2020 प्रकोष्ठ है जिसकी प्रभारी श्रीमती नीलू सिंह हैं।

(20) **Skill Development Centre -** कॉलेज का अपना Skill Development Centre भी हैं जिसके द्वारा विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रम व स्वरोजगार कार्यक्रम कराये जाते हैं, जिससे छात्राओं के कौशल में वृद्धि हो सके व उन्हे रोजगार मिल सके। अधिक जानकारी के लिये छात्रायें श्रीमती नीलू सिंह (अंग्रेजी विभाग) से संपर्क करें।

(21) **MI (Muskurayega India) Centre** – महाविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था Unicef द्वारा स्थापित मुस्कुरायेगा India Centre है जहाँ सभी की Mental Health Counselling की जाती है। अधिक जानकारी के लिए श्रीमती एकता चाहौन (राजनीति विभाग) से संपर्क करें।

(22) **Online Workshop & Seminar** – महाविद्यालय में समय–समय पर offline व online workshop seminar व अतिथि व्याख्यान कराये जाते हैं जिसकी प्रभारी डॉ. गीता सिंह (मनोविज्ञान विभाग) व सहप्रभारी डॉ. मनु आर्या (संस्कृत विभाग) हैं।

(23) **Placement Cell :** छात्राओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार देने के लिए महाविद्यालय में प्लेसमेंट से स्थापित किया गया है जिसकी प्रभारी श्रीमती एकता चौहान (राजनीतिविज्ञान विभाग) है।

(24) **Grievanc Redressal Cell :** शिक्षिकाओं, कर्मचारियों व छात्राओं की समस्या का समाधान करने के लिये महाविद्यालय में एक है। जिसकी प्रभारी श्रीमती नीलू सिंह एवं सह–प्रभारी श्रीमती एकता चौहान है।

(25) **मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना :** महाविद्यालय में प्रतिभावान छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत IAS/PCS, NEET, JEE, NDA/CDA की कोचिंग प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए श्रीमती एकता चौहान से संपर्क करें।

नोट : महाविद्यालय ने उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत खुर्जा तहसील के पांच गांव इस्माइलपुर बुढ़ैना, ढांकर निजामपुर, सीकरी, धराऊ व नगला महीउद्दीनपुर को गोद लिया हुआ है जिनके विकास के लिए महाविद्यालय समय—समय पर उनकी ग्राम प्रधान व निवासियों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है।

महाविद्यालय में दिये जाने वाले पुरस्कार व छात्रवृत्ति

निर्धन व मेधावी छात्रा को पुरस्कार	डॉ. शशिप्रभा त्यागी द्वारा प्रदत्त
कॉलेज में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को पुरस्कार	डॉ. धीरज सिंह द्वारा प्रदत्त
निर्धन छात्राओं को सहायता	डॉ. मीना त्रिपाठी व कु. लक्ष्मी मिश्रा द्वारा प्रदत्त
वाद विवाद प्रतियोगिता (चल वैजयन्ती) आयोजन	डॉ. पद्मा उपाध्याय

विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल www.ccsuniversity.ac.in पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://ccsuadmission.aimserp.co.in/college पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्राजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेंगे। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों/संस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता, अंग–भंग आदि) हेतु कुल 5 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 10 प्रतिशत आरक्षण ई.डब्लू.एस. के लिए लागू होगा।

(घ)(I) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को https://ccsuadmission.aimserp.co.in/college पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है। इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबाईल नम्बर, स्वयं का ई–मेल, होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में मांगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली–भाँति अवलोकन कर ऑन लाईन सब्मिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाइल नं. पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यथी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने देने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

(घ)(ii) प्रवेश हेतु दो योग्यताक्रम (मेरिट) सूचियां प्रकाशित की जायेंगी, जिसके माध्यम से प्रवेश सीमित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान की चयन सूची में वरीयतानुसार नाम आने पर लिए जा सकते हैं। प्रत्येक योग्यता सूची के प्रवेश ऑफर लेटर अपने लॉगइन से डाउनलोड कर सम्बन्धित महाविद्यालय में गोपनीय संख्या देने पर प्रवेश सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। ऑफर लेटर मात्र अभ्यर्थी अपने लॉगइन से प्राप्त कर सकता है एवं प्रवेश सम्पुष्टिकरण मात्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उनके लॉगइन से किया जा सकता है। किसी भी योग्यता सूची की समय सीमा समाप्त होने पर नाम होने पर भी प्रवेश सम्पुष्ट नहीं हो सकते। प्रथम वरीयता के महाविद्यालय/संस्थान में नाम आने पर व प्रवेश सम्पुष्ट होने के पश्चात पुनः नाम किसी भी मेरिट लिस्ट (ओपन सहित) में प्रदर्शित नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम दो वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं, तो वे प्रथम ओपन मेरिट में महाविद्यालय/संस्थान की वरीयतानुसार दी गयी सूची में पुनः प्रवेश लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं।

(घ)(iii) प्रथम ओपन मेरिट के उपरान्त ओपन पंजीकरण अर्थात महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम के विकल्प के बिना पूर्ण किये गये आवेदन पत्र के आधार पर ऑफर लेटर में इंगित गोपनीय संख्या के माध्यम से रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण नियमानुसार वांछित महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ओपन पंजीकरण आवेदन पत्र खुलने के पश्चात् पूर्व से ही पंजीकृत अप्रवेशित अभ्यर्थियों के भी चयनित महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम आवेदन पत्र से समाप्त हो जायेंगे व उन्हें नवीन अभ्यर्थी की भाँति ही पुनः ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा तथा वांछित महाविद्यालय/संस्थान में समस्त प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय/संस्थान द्वारा ऑनलाइन प्रवेश सम्पुष्ट होने पर अभ्यर्थी के लॉगइन में सूचना प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।

(ड.) विषय संयोजन आवंटित करने का अधिकार सभी नियमों का संज्ञान लेते हुए, महाविद्यालय के प्राचार्य/ उनके द्वारा नामित प्रवेश समिति को ही होगा। विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों/संस्थानों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, अभ्यर्थी की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटियों के सम्बन्ध में 2 कार्य दिवस के अन्तर्गत प्राचार्य लॉगइन से संशोधन हो सकता है, किन्तु 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जायेगा। विषय संयोजन की सम्पुष्टि के पश्चात् विषय परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। ओपन मेरिट द्वारा बाद में प्रवेश लेने वाले, किन्तु योग्यताक्रम में श्रेष्ठ अर्ह अभ्यर्थी को उसके चयनित विषय, अनुपलब्धता की स्थिति में न मिलने पर महाविद्यालय/संस्थान दोषी नहीं होगा। महाविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विषय संयोजन सीमित हो, जिससे रिक्त स्थान शेष न रहें।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट (जो पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् व पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं) में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा छात्रावास में आवास प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायेंगे।

नोट – यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होगे, तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति ही माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड/संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जायेगा।

(च)(प) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों का अधिकतम 25 प्रतिशत सीमा तक ही होंगे, (व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी, जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करे, तब भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(पप) प्रवेश सत्र 2023–24 में ट्रांसजेन्डर के लिए भी प्रवेश मान्य होगा, किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(छ)(प) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो, ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होगा।

(पप) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण केवल उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही

जनपद में स्थित महाविद्यालयों / संस्थानों के अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं होगी।

(पपप) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(पअ) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय / संस्थान से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(अ) ऐसे अभ्यर्थी, जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी.पी.टी., डिप्लोमा इन आर.डी.आई.टी., 60 प्रतिशत अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हैं, वे रिक्त सीटों के सापेक्ष कुल सीटों के 10 प्रतिशत स्थानों पर बी.पी.टी. व बी.आर.डी. आई.टी. में लेटरल एन्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(अप) स्ववित्तपोषित महाविद्यालय / संस्थानों / पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों / पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों / संस्थानों / पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों / संस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।

(ज) जिन अभ्यर्थियों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू.पी. बोर्ड, अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो (जैसेः सी.बी.एस. ई., आई.सी.एस.ई. आदि), उनके स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये मेरिट में इण्टरमीडिएट के सभी विषयों के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू.पी. बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीण की हो (जैसेः सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. आदि), किन्तु उनके सभी विषयों के योग्यता प्राप्तांक उ.प्र. बोर्ड के सम्बन्धित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए।

(झ) स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में चार वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

(..) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में स्नातकोत्तर में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर स्नातकोत्तर प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर करना चाहता है, तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।

(ट) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होगे, जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ठ) योग्य / पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य / पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीण नहीं की होगी।

विशेष नोट :

मान्यता प्राप्त बोर्ड / (एन.आई.ओ.एस. व ए.आई.यू. पर उपलब्ध) / (यू.जी.सी. व ए.आई.यू. की वेबसाइट से उद्धृत) विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

2. ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डों / विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् संज्ञान में आती है, तो उनका कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।

3. महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य यदि 1(शिक्षक) : 60(विद्यार्थी) अथवा 1(शिक्षक) : 80(विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं, तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन के अनुपात में सीट संख्या के सापेक्ष प्रति विषय उपलब्ध अनुमोदित शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यो को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित

तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनके विरुद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

4. "शासनादेश संख्या–2555/सत्तर–2–2007–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006–07 में निर्गत शासनादेश संख्या– 1678/सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या–1870/सत्तर–2–2000–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या–3371/सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेंगे।"

5. किसी भी अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं होगा।

   किसी भी अभ्यर्थी को बी.ए. में तीन साहित्यिक विषय अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के संयोजन का चयन करने पर बी.ए. की उपाधि प्रदान की जाएगी।

   Note :- In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

6. ऐसा विद्यार्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो, किन्तु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर महाविद्यालय/संस्थान में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे सम्बन्धित परीक्षा एक पूर्व–विद्यार्थी (Ex-Student) के रूप में ही उत्तीण करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (weightage) दिए जायेंगे :–

(अ) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।

(ब) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/ कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।

(स) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने परास्नातक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक आनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।

(द)(I) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ–साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार

होगा –

(i) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने / निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, तृतीय सोपान / गुरुपद / प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान / ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

8. 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् जी.ओ. नं एफ. 14–3 / 85 (सी.पी.), दिनांक 24.04.1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु, पाठ्यक्रमानुसार (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। जिन्होंने अर्हता कक्षा / डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / प्रदेशीय / अन्तर्विश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण–पत्र धारक हो।

नोट– (प) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 8 अंकों तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय / महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 12 अंकों तक अधिभार दिया जा सकता है)

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

9. कोई भी विदेशी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय / संस्थान द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा, जब तक कि सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय / संस्थान में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

10. इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी अन्य मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय / चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष / चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय / चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष / द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष के समतुल्य पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो। पाठ्यक्रम का सामंजस्य एलएल.बी. के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 10 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।

11. एम.ए. के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वही विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।

12.(i) बी.ए. में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) कोई अंक नहीं घटाया जायेगा।

(ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.कॉम., बी.ए. अथवा बी.एससी. में प्रवेश के लिए मेरिट में लिखित परीक्षा के दो तिहाई प्रतिशत तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्रतिशत जोड़े जायेंगे।

13.(i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकार्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय/संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में माननीय कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार का दोषी पाये गये, किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :

"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."

14. इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.ए. (गृह विज्ञान)/ बी.एससी. (गृह विज्ञान) तथा बी.एससी. (कृषि) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

15. ऐसा अभ्यर्थी जो किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

16. ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक वह इस विश्विद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

17. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

18. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

19.(i) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी.ए. प्रथम/एम.ए. प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है एवं शासन द्वारा अधिकृत उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्रवेश की सूची में प्रवेश हेतु वह अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.06.2004 में लिए गये निर्णयानुसार)। बी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा (प्रवेश समिति की दिनांक 28.02.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार)।

20. ऐसे अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय/संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जायेगा।

21. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

22. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू.पी. या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।

23. कोई भी अभ्यार्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान की परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय/संस्थान अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्याथी का परीक्षा

फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा।

24. कोई भी अभ्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

25. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा, यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

26. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।

27. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है, तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं माना जायेगा।

28. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों यथा बी.लिब आदि में प्रवेश 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10+2+3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाये। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिये पाठ्यक्रम विशेष के लिये अर्हता सूची में उल्लिखित है, मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे।

29. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में महिला अभ्यर्थिनियों को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

30. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV के प्रस्तर–4 के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हो।

31. B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) के लिए 10+2 में गृह विज्ञान आवश्यक है।

32. प्रवेश के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा।

33. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों/संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।

34. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

35. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से चार वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।

36. यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय/संस्थान की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के अन्तर्गत पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में ही उस महाविद्यालय/संस्थान अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है, तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। किसी भी तरह की त्रुटि के संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

37. समय–समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे, जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही आच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।

39. **छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रवेशित होगा, यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यदि वह भी समान हों, तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।**

40. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू.जी.सी./आई.जी.एन.ओ.यू. तथा एन.आई.ओ.एस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मान्य तथा अमान्य विश्वविद्यालय एवं बोर्ड की सूची पुनः प्राप्त होने पर संशोधित हो सकती है।

Eligibility Criteria
नोट : वर्ष 2024-25 से M.A. में भी NEP 2020 लागू की जा रही है। **M.A. Programme** 1.Hindi : Bachelor's Degree (with the concerned subject as one of the main subjects 2.Political Science - Candidate with BA in other subjects or from other 3year bachelor's degree can also apply with 5% deductions

Bachelor's Programmes	
1. B.A. (Arts Group) Hindi, English, Economics, History, Political Science, Sanskrit, Sociology Urdu, Philosophy Education, Geography Drawing & Painting, Physical Education, Science, Psychology, Computer Application, Defence Studies, Library Science	10+2 with 33% marks. नोट – 1. Two-third theory marks percentage and one-third practical marks, percentage of candidates with vocational course will be considered in non practical courses. इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.कॉम.बी.ए. अथवा बी.एससी. में प्रवेश के लिए मेरिट में लिखित परीक्षा के दो तिहाई प्रतिशत तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्रतिशत जोड़े जायेंगे 2. If the candidate chooses Home Science as one of the subjects, then, the eligibility is 10+2 with Home Science, Home otherwise 5% will be deducted.

विशेष सूचना

1. जाँच होने तक सभी प्रवेश अस्थायी होते हैं। प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्या के पास सुरक्षित रहेगा।
2. छात्रायें प्रवेश लेते समय पाठ्य विषयों का चयन भली–भाँति सोच–विचार कर करें। विषय परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
3. कॉलिज में मोबाईल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित हैं।
4. प्रवेश लेने के पश्चात यदि कोई छात्रा कॉलेज छोड़ती है तो कॉलेज कार्यालय को इसकी लिखित सूचना देना तुरन्त आवश्यक है। इसके साथ ही अपना परिचय–पत्र तथा लाइब्रेरी कार्ड पुस्तकालय को लौटाना अनिवार्य है।
5. **उपस्थिति** –
   छात्राओं के लिए न्यूनतम प्रत्येक मुख्य विषय एवं सामान्य विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने पर छात्रा परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगी।
6. **यूनिफार्म** –
   महाविद्यालय में प्रविष्ट होने वाली छात्रायें आवश्यक रूप से महाविद्यालय की निर्धारित वेश–भूषा सफेद कुर्ता, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद जूते एवं जुर्राब ही धारण करें एवं शरद ऋतु में मेरून कार्डिगन, मेरून स्कार्फ यूनिफार्म का अंग है। विश्वविद्यालय परीक्षा समय में भी यूनिफार्म आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुक्रम में प्रवेश–सम्बन्धी दिशा निर्देश

National Education Policy 2020 : Guidelines for Admission

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी. लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई, 2021, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25.06.2021 को जारी परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश–सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्धित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक दिशा–निर्देश (गाइडलाइन) प्रस्तावित किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय–सारिणी :**
2. यह व्यवस्था तीन विषय वाले बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. पर सत्र 2021–22 से प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी।
3. **प्रवेश की व्यवस्था :**

विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पुनः पूर्व निर्देशित अर्हतानुसार अपने वर्ग (Bio/Maths/Stats etc.) का चुनाव करना होगा जिसका आवंटन मेरिट, सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अध्ययन कर सकेगा।

पूर्व व्यवस्था की तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है, जिसका आवंटन मेरिट, सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। इस व्यवस्था के लिये संकायों का निर्धारण शासनादेश जून 15, 2021 (http://uphed.gov.in/Council/GOneeti.aspx) के अनुसार होगा।

- विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संस्थानों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौण (माइनर इलैक्टिव) पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो गौण प्रश्नपत्रों (माइनर इलैक्टिव पेपर) का अध्ययन करना होगा।
- बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा गौण चयनित पेपर (माइनर इलैक्टिव पेपर) का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।
- कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव पेपर आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3X4 = 12) क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational Skill development Courses) पूर्ण करना होगा।

- स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा।
- इन सभी सह–पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. (C.G.P.A.) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इन पेपर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा multiple choice questions पर आधारित होगी।

4. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया :

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी।
- विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार–परक (Vocational) प्रशिक्षण–पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

5. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण :

सैद्धान्तिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13–15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

- प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26–30 घंटे का प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
- विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट; न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।
- एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट उपभोग कर लिये माने जाएंगे अर्थात उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएंगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा–112 का 60 अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आयेंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।
- यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट / डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Recredit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि–क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपभोग कर पुनः सर्टिफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

6. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण :

- क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा।
- परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

- छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता तो, वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ –

- विद्यार्थी यू.जी.सी. / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोर्टल / संस्थानों से 20 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स / पेपर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित करने की यह सुविधा माइनर / इलैक्टिव पेपर्स के लिये छूट पर ही लागू होगी। यूजीसी के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय परिसर को जोड़ने होंगे।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

8. परीक्षा व्यवस्था :

- सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिये बाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
- 25 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
- असाइनमेंट तथा क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

9. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है –

- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है।
- द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।
- तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
- स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल–विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उचच शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किये जायेंगे।

NEP MAJOR COURSES FOR B.A./B.Sc./B.Com.

Start Course w.e.f. 2021-22

Table B

Year-wise structure of UGG Prograam of B.A., B.Sc., B.Com.

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational/ Skill	Co-Curricular Not to be counted	Industrial Training Survey/ Research Project	(Minimum Credits For the Year)	(Cummulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree)
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main subject		
I	I	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	(46) Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)		1	1			
II	III	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	(92) Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4) + Prac-1(2)		1	1			
III	V	Th-2(5) or Th-2(4) + Prac-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4) + Prac-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	(132) Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4) + Prac-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4) + Prac-1(2)				1			

संशोधित शुल्क तालिका 2023–24

संशोधित शुल्क प्रणाली 2023-24 चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के निर्देशानुसार

शुल्क बी.ए. प्रथम वर्ष	
बिना प्रयोगात्मक विषय	रू. 1989 वार्षिक
एक प्रयोगात्मक विषय	रू. 2329 वार्षिक
दो प्रयोगात्मक विषय	रू. 2669 वार्षिक
गृहविज्ञान स्ववित्तपोषित	रू. 4589 वार्षिक
गृहविज्ञान + एक अन्य प्रयोगात्मक विषय	रू. 4929 वार्षिक
शुल्क बी.ए. द्वितीय वर्ष	
बिना प्रयोगात्मक विषय	रू. 1889 वार्षिक
एक प्रयोगात्मक विषय	रू. 2129 वार्षिक
दो प्रयोगात्मक विषय	रू. 2369 वार्षिक
गृहविज्ञान स्ववित्तपोषित	रू. 4389 वार्षिक
गृहविज्ञान + एक अन्य प्रयोगात्मक विषय	रू. 4629 वार्षिक
शुल्क बी.ए. तृतीय वर्ष	
बिना प्रयोगात्मक विषय	रू. 1389 वार्षिक
एक प्रयोगात्मक विषय	रू. 1629 वार्षिक
दो प्रयोगात्मक विषय	रू. 1869 वार्षिक
गृहविज्ञान स्ववित्तपोषित	रू. 3889 वार्षिक
गृहविज्ञान + एक अन्य प्रयोगात्मक विषय	रू. 4129 वार्षिक
शुल्क एम.ए. प्रथम वर्ष	
एम.ए. हिन्दी	रू. 2679 वार्षिक
एम.ए. राज. विज्ञान	रू. 4279 वार्षिक
शुल्क एम.ए. द्वितीय वर्ष	
एम.ए. हिन्दी	रू. 1679 वार्षिक
एम.ए. राज. विज्ञान	रू. 4179 वार्षिक

नोट – स्नातक (B.A.) स्तर पर मनोविज्ञान, संगीत, शारीरिक शिक्षा व राजनीति विज्ञान प्रयोगात्मक विषय हैं। व गृह विज्ञान स्ववित्तपोषित मे है।

परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी सामान्य नियम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P-2020) के अन्तर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों (बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम) सम्बन्धित नियमों के प्रचार–प्रसार हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञप्ति संख्या–गो0/150 दिनांक 01.02.2023 जारी की गयी थी। उक्त नियमों में मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर दिनांक 09.10.2023 को सत्र को समयबद्ध किये जाने हेतु विद्वत परिषद द्वारा कतिपय संशोधन किये गये हैं। दिनांक 12.10.2023 को आहूत कार्य परिषद में अनुमोदनोपरान्त दिनांक 01.02.2023 को जारी नियमों में आंशिक संशोधन करते हुए एतद् द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा रही है:–

तालिका–1 (Table-1)

लेटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. **उत्तीर्ण प्रतिशत**

2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

2.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होंगे।

2.4 कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा। जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रेक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धान्तिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। उल्लेखनीय है कि चारो कौशल विकास कोर्स में आन्तरिक परीक्षाएँ सम्पन्न नहीं करायी जायेंगी। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धान्तिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

Vocational/Skill Development विषयों की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा न करवाकर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। ऐसे छात्र जिनके Skill Development पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।

2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर की जायेगी।

2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे। तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.7 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.8 किसी भी कोर्स / पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम / लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेंगें।

2.10 इस नियम को विलोपित (Delete)दिया गया है।

2.11 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा (वाह्य परीक्षा) में न्यूनतम निर्धारित 25 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो परीक्षा परिणाम में वाह्य परीक्षा के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

2.12 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की वाह्य परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा में 33 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा के योग के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

2.13 इस नियम को विलोपित (Delete) दिया गया है।

3. कक्षान्नोति (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो (पूर्व नियम को इस नियम से प्रतिस्थापित किया गया)।

3.2 इस नियम को विलोपित (Delete) दिया गया है।

3.3 इस नियम को विलोपित (Delete) दिया गया है।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैंक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किंतु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.2 विद्यार्थी को बैंक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

4.5 कोई छात्र/छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक स्किल डेवलपमेण्ट कोर्स (कौशल विकास पाठ्यक्रम) की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

4.6 कोई छात्र/छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक को–करिकुलर कोर्स की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

4.7 सी0बी0सी0एस0 प्रणाली में पूर्ण सेमेस्टर के सभी पेपर्स में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी पूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा देगा। यदि विद्यार्थी ने कुछ पेपर उत्तीर्ण कर लिए हैं तो भविष्य के सेमेस्टर के साथ विद्यार्थी को उन्हीं पेपर्स की परीक्षा बैंक पेपर के रूप में उत्तीर्ण करनी होगी जिन पेपर्स में वह पहले अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहा था।

4.8 वर्तमान सेमेस्टर का विद्यार्थी पिछले किसी एक सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर्स की परीक्षा में बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा। उदाहरणार्थ–तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर कोड की बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा।

4.9 ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते हैं, को बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होकर प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनुमत होगा।

4.10 चूँकि पंचम एवं प्रथम सेमेस्टर तथा छठे एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होती हैं इसलिए पंचम सेमेस्टर एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के बैक पेपर में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। ऐसे छात्र जो पंचम एवं छठे सेमेस्टर तक भी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, को छठा सेमेस्टर पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की बैंक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

5. काल अवधि : किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्याः– (Explanation) यदि विद्यार्थी सत्तता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6. <u>SGPA एवं CGPA की गणना</u>

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत् सूत्रों से की जायेगी।

jth सेमेस्टर के लिए यहाँ पर

SGPA (sj) = Ci = number of credits of the ith course in jth semester.

Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester.

यहाँ पर

Sj= SGPA of the jth semester.

Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगाः

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगीः

तालिका–2 (Table-2)

श्रेणी	**वर्गीकरण**
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

6.4 SGPA & CGPA की गणना छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा फार्म में भरे गये पेपर्स के कुल ग्रेड वैल्यू को कुल क्रेडिट से भाग देकर की जायेगी।

7. शोध परियोजना के विषय में निर्णय :–

समिति ने स्नातक स्तर तृतीय वर्ष में किये जाने वाले लघु शोध प्रबन्ध के विषय में शासनादेश दिनांक 13.07.2021 के आलोक में निम्न सुझाव दियेः–

1. स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष के पंचम व छठे सेमेस्टर में मिलाकर एक लघु शोध परियोजना करनी होगी।

2. यह शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषय में से किसी एक विषय से सम्बन्धित होगी। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इण्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

3. यह शोध परियोजना सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के विभाग के एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

4. विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनों सेमेस्टरों में की गयी शोध परियोजना का संयुक्त प्रबन्ध (Report / Dissertation) जमा करेगा। जिसका मूल्यांकन वर्ष के अन्त में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। जिसके उत्तीर्णांक 40 होंगे। यह शोध परियोजना केवल क्वालीफाईंग होगी, जिसमें 40 अथवा उससे अधिक अंक पाने पर कम Q Grade तथा 40 से कम अंक पाने पर NQ Grade दिया जायेगा।

नोट : पेपर कोड के लिये छात्राएं हमारी वेबसाईट www.akppgcollegekhurja.in पर देखें।

NEP-2020 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर/परास्नातक (एम.ए., एम.एस.सी., एम. काम.) स्तर हेतु परीक्षा परिणाम / ग्रेडिंग प्रणाली एवं बैक पेपर सम्बन्धी अध्यादेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, चौधरीचरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर/परास्नातक स्तर पर–शासनादेश संख्या– 401/सत्तर–3–2022, दिनांक : 09 फरवरी 2022 के अनुसार एवं विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 14.06.2022 के मद संख्या–06 के द्वारा सत्र 2022–23 से लागू की गई है। इस संदर्भ में एक ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी०ए०, बी०एस०सी० एवं बी०काम० के तीन वर्ष हेतु 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली शासनादेश संख्या 1032/सत्तर–3–2022–08 (35)/2020 दिनांक 20 अप्रैल 2022 के अनुसार एवं विश्वविद्यालय पत्रांक गोप0/356 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा सत्र 2021–22 से लागू की गई है। यह ग्रेडिंग प्रणाली यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर/परास्नातक स्तर पर सत्र 2022–23 से विश्वविद्यालय में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाएगी।

तालिका–1 (Table-1)

लेटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2.1 स्नातकोत्तर/परास्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व की भांति तीन वर्षीय स्नातक उपाधि आवश्यक होगी तथा प्रवेश के नियम व प्रक्रिया भी वही होगी जो विश्वविद्यालय ने अपनाई हुई है।

2. 2 मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) पूर्णांक 100 के Credit Course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 36 प्रतिशत होगा। वृहद शोध परियोजना के कोर्स / पेपर भी पूर्णाक 100 के Credit Course है तथा इनका भी उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत होगा।

2.3 सभी विषयों के मुख्य / माइनर के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 30 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 70 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

2.4 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 70 अंकों में से न्यूनतम 21 अंक (70 का 30 प्रतिशत) एवं आन्तरिक मूल्यांकन में पृथक रूप से अधिकतम 30 अंकों में से न्यूनतम 09 अंक (30 का 30 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर पूर्णांक 100 में से न्यूनतम 36अंक प्राप्त करने होंगे।

2.5 आन्तरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी को उस कोर्स / पेपर की विश्वविद्यालय की बाह्य परीक्षा देने के लिए अनुमत किया जायेगा।

2.6 वृहद शोध परियोजना एक वर्ष में कुल 08 क्रेडिटस् की होगी जो कि दो सेमेस्टर्स में सतत् कार्य करके पूर्ण करनी होगी विद्यार्थी को यह शोध परियोजना विभाग के एक पूर्णकालिक शिक्षक (Supervisor) के निर्देशन में करनी होगी। इस शोध का मूल्यांकन वर्ष के अंत में अधिकतम 100 अंकों में से किया जायेगा इस कोर्स / पेपर के न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत ही होंगे। विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना की रिपोर्ट /Dissertation/ Thesis विभाग में जमा करनी होगी तथा उसे एक परीक्षक समिति (Board of म्गंउपदमतेद्ध के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। इस परीक्षक समिति में Supervisor एवं एक बाह्य विषय विशेषज्ञ (कुलपति जी द्वारा नामित) होंगे। विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना के मूल्यांकन में 80 से अधिक अंक निम्न उपलब्धि पर ही दिए जा सकेंगेः– वृहद शोध परियोजना में किए गए कार्य पर आधारित शोध पत्र प्रकाशित / Accepted करने पर (अ) 81 से 90 तक अंक यदि शोध पत्रिका वर्तमान UGC CARE list में सम्मिलित है। (ब) 91 अथवा अधिक अंक यदि शोध पत्रिका SCOPUS अथवा Web of Science में सम्मिलित है।

2.7 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

2.8 स्नातक (शोध सहित) (Graduation with Research) अथवा परास्नातक / स्नातकोत्तर (Post ळतंकनंजपवदद्ध उपाधि प्राप्त करने हेतु न्यूनतम CGPA 4.0 प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3. **कक्षान्नोति** (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहें वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

3.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात स्नातकोत्तर के वर्तमान प्रथम वर्ष से अगले द्वितीय वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :–

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान प्रथम वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपरर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल, वृहद शोध परियोजना मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में पूर्ण रूप से अथवा आधे से अधिक क्रेडिट्स के पेपर्स में अनुपस्थित अथवा अनउत्तीर्ण होता है तो उसे अगले वर्ष में प्रोन्नत नहीं किया जायेगा।

(ब) कक्षान्नोति के लिए कोई न्यूनतम CGPA नहीं होगा।

3.3 स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा। इसको न्यूनतम 4.0 CGPA के साथ पूर्ण करके यदि कोई विद्यार्थीी छोड़कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) (Graduation with Research) की उपाधि दी जायेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध

होगी जिन्होंने विश्वविद्यालय में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि पूर्ण की है।

4. <u>बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा</u>

1.1 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.2 एक विद्यार्थी बैक पेपर के रूप में किसी एक सेमेस्टर में, मुख्य विषय के 12 क्रेडिट्स तक के थ्योरी व प्रेक्टिकल के पेपर ही ले सकेगा। एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टरर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण कोर्स/ पेपर में बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाहय) परीक्षा कालबाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किन्तु उत्तीर्ण विषयों में अंक सुधार हेतु केवल एक अवसर ही उपलब्ध होगा।

4.5 आन्तरिक परीक्षा में उत्तीर्ण पेपर / कोर्स में बैक पेपर की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

5. **काल अवधि** – किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सतत्ता में दोनों वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम छः वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष के पश्चात् स्नातक (शोध सहित) की उपाधि लेकर चला जाता है तो वह बाकी के एक वर्ष की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के एक वर्ष की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष मिलेगें।

6. **SGPA एवं CGPA की गणना**

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत् सूत्रों से की जायेगी।

jth सेमेस्टर के लिए SGPA (sj) = ∑(Ci x Gi/ ∑Ci	यहाँ पर Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
CGPA = ∑(Cj x Sj/∑ Cj	यहाँ पर Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगाः

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगीः

तालिका–2 (Table-2)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

A.K.P. DEGREE COLLEGE

(Estd. in 1966)

AFFILIATED TO CCS UNIVERSITY MEERUT

OUR SKILL PARTNERS

- संस्कृत भारती मेरठ प्रांत • SLEEPWELL FOUNDATION • CGCRI, KHURJA • SUN19 FARMS
- राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बुलन्दशहर

OUR SKILL COURSES

1. CERTIFICATE COURSE IN COMPUTER
2. BASIC COMMUNICATVE ENGLISH
3. YOGA & MEDITATION
4. SELF-EMPLOYED TAILORING
5. BASIC CLINICAL TECHNIQUES
6. FOOD PRESERVATION
7. PATRAKARITA
8. SOCIAL WORK
9. MEDIA & JOURNALIST WRITTING
10. NEWS WRITING &REPORTING
11. GUIDENCE & COUNSELLING
12. COMMUNICATION SKILL & PERSONALITY DEVELOPMENT
13. SANSKRIT SAMBHASHANAM
14. WEB DESIGNING
15. STRESS MANAGEMENT
16. APPLIED RESEARCH
17. LIFE SKILL & VALUE EDUCATION
18. COMPUTER ACCOUNTING
19. CERTIFICATE IN MEDICAL LABORATORY

FACILITIES IN COLLEGE

NATIONAL SERVICE SCHEME

UNICEF MUSKURAYEGA INDIA CENTRE

ROVERS RANGERS

Road Safety Club

Support | Solution | Safety | Suggestion

INSTITUTION'S INNOVATION COUNCIL (Ministry of HRD Initiative)

IIC CELL

Skills Development Centre

INDOOR GYM

RECREATION CENTRE

GIRLS COMMON ROOM

24X7 CCTV

LUSH GREEN GARDENS

YOGA CENTRE

DIGITAL LIBRARY

DIVYANG FRIENDLY CAMPUS

OPEN GYM

WiFi

WI FI CAMPUS

CAREER COUNSELLING CELL

PLACEMENT CELL

COMPUTER LAB

FIRST AID

FIRST AID

PRICE : Rs. 170.00

www.akppgcollegekhurja.in

E-mail : akppgcollege@gmail.com